संख्या-15 /2017/2634/96-आयुष-2-2017-27(बी)/2016 टी0सी0-1

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 24 अगस्त,2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 में होम्योपैथिक विभाग के राजस्व मद पक्ष में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत आपके पत्र संख्या-नि0हो0/1072-बी/17-18/7986, दिनॉक 10 अगस्त, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 में होम्योपैथिक विभाग के राजस्व मद में प्राविधानित धनराशि कुल रू0 130.53 लाख (रूपये एक करोड़ तीस लाख तिरपन हजार मात्र) की संलग्न तालिका-1 में वर्णित लेखा शीर्षक व मानक मदों में मदवार विभाजन के अनुसार आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- उक्त स्वीकृति धनराशि का व्यय केवल चालू मदों पर ही किया जायेगा तथा किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई योजनाओं/मदों पर नही किया जायेगा।

2- धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व, उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका/ नियमों/संगत शासनादेशों, स्टोर परचेज नियमों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत् राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम स्तर से अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

3- अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि का व्यय शासन से अनुमति प्राप्त कर किया जायेगा।

4- पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि को यथासमय प्रस्ताव विभाग से प्राप्त होने पर शासन द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी।

5- स्वीकृति धनराशि का कोषागार से आहरण विधमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता के आधार पर समानुपातिक रूप से किया जाय तथा जिन मदों में धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्राविधानित है, उन्ही मदों में व्यय किया जाय। धनराशि का एक मद से दूसरे मद में व्ययार्वतन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

6- स्वीकृत धनराशि आवश्कतानुसार सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय तथा आवंटन आदेश की प्रति समस्त अधिकारियो/शासन को उपलब्ध करायी जाय।

7- उक्त धनराशि के भुगतान/आवंटन के सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित शर्तो/निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8- स्वीकृत धनराशि भैतिक एवं वित्तीय प्रगति विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 03 तारीख तक शासन/वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय।

9- स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

2- कृपया उपरोक्त निर्देशों का अपने तथा अधीनस्थ स्तरों पर कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय

(ऋषिकेश दुबे)
संयुक्त सचिव।

संख्या:- 15/2017/2634(1)/96-आयुष-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एक हकदारी द्वतीय) उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर/अलीगढ़।
5- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी होम्योपैथी निदेशालय।
6- प्राचार्य, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गोरखपुर/अलीगढ़।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण्) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग 1/2
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तालिका–1

शासनादेश संख्या-15/2017/2017/2634/96-आयुष-2-2017-27(बी)/2016 टी0सी0-1 दिनांक 24 अगस्त 2017 का संलग्नक

(धनराशि लाख में)

	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) लेखाशीर्षक–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–03–शिक्षा–0306–राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज"	
मद	आय–व्ययक प्राविधान	निर्गत की जा रही धनराशि
01–वेतन	48.83	48.83
02–मजदूरी	6.00	6.00
03–मँहगाई भत्ता	2.93	2.93
04–यात्रा व्यय	0.25	0.25
06–अन्य भत्ते	1.90	1.90
07–मानदेय	0.15	0.15
08–कार्यालय व्यय	10.00	10.00
09–विद्युतदेय	0.50	0.50
10–जलकर/जल प्रभार	0.10	0.10
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.50	1.50
12–कार्यालय फर्नीचर एंव उपकरण	20.00	20.00
13–टेलीफोन पर व्यय	0.20	0.20
21–छात्रवृत्तियॉ और छात्रवेतन	0.01	0.01
26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	20.00	20.00
31–सहायक अनुदान–सामान्य (वेतन)	0.24	0.24
39–औषधि तथा रसायन	5.95	5.95
40–औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	2.0	2.0
42–अन्य व्यय	1.00	1.00
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का कय	5.00	5.00
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	1.00	1.00
49–चिकित्सा व्यय	0.01	0.01
51–वर्दी व्यय	0.01	0.01
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	2.94	2.94
53–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	0.01	0.01
योग–	130.53	130.53

(ऋषिकेश दुबे)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।